6.07.2020

Dr. purnima Singh
Department of political Science.
B.A part-II paper-III Indian Government and politics. I.A 1st year. paper 1
Indian Government and politics
Topic - Federalism 4 Lecture - 58

Federalism - 4

भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व
(Federal Elements of the Indian Constitution)

4- कठोर संविधान — (Rigid Constitution) - संघीय सरकार में संविधान कठोर होना चाहिए ताकि केन्द्र या राज्यों में शासक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए उसमें आसानी से परिवर्तन न कर सकें। भारतीय संविधान यद्यपि अमेरिका के संविधान की भांति कठोर तो नहीं है तथापि वह इंग्लैंड के संविधान की भाँति इतना लचीला भी नहीं है जिसे संसद साधारण बहुमत से परिवर्तित कर दे। संशोधन करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान को तीन भागों में बाँटा गया है। एक भाग ऐसा है जिसको संसद केवल साधारण बहुमत से बदल सकती है। दूसरा भाग वह है जिसको परिवर्तित करने के लिए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का स्पष्ट बहुमत (Absolute Majority) तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत पक्ष में होना आवश्यक है। तीसरा भाग वह है जिसको परिवर्तित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम-से-कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। इसका अभिप्राय

यह हुआ कि संशोधन करने के लिए एक विधि निश्चित की गई है। जिस संविधान में साधारण कानून पारित करने की विधि और संविधान में संशोधन करने की विधि भिन्न होती है उस संविधान को सैद्धान्तिक पक्ष से कठोर संविधान माना जाता है।

5. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) – संविधान की सर्वोच्चता संघीय सरकार की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून स्वीकार किया गया है। कार्यपालिका या विधानमंडल किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकते या आदेश जारी नहीं कर सकते हैं जो संविधान का हनन करते हों।

6. स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) संघात्मक सरकार में स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तथा उच्च न्यायालय (High Courts) के संगठन के विषय में उपबन्ध और करते समय संविधान निर्माताओं ने वे सभी सिद्धान्त अपनाने का प्रयत्न किया है जो स्वतन्त्र न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार विधान मंडल अथवा जनता को न देकर कार्यपालिका (राष्ट्रपति) को दिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी बहुत कठोर है। उनका कार्यकाल भी लम्बा है। यह सब न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए किया गया है।

7. द्वि-सदनीय विधानपालिका (Bi-Cameral Legislature) संघीय सरकार में विधानपालिका का द्वि-सदनीय

होना अनिवार्य है। निम्न सदन साधारणतः समस्त लोगों तथा उच्च सदन संघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संसद के भी दो सदन हैं — लोक सभा और राज्य सभा। पहला सदन लोगों का और दूसरा सदन इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है।

सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism).

भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व (Unitary Factors of the Indian Constitution) —

भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के तत्व पाए जाते हैं लेकिन एकात्मक तत्वों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए कई बार राजनीतिक विद्वान यह भी कह देते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में एकात्मक और बनावट में संघात्मक है। संविधान में एकात्मक प्रवृत्तियाँ Trends भी पाई जाती हैं, जैसे —

1. इकहरी नागरिकता (Single citizenship)
2. शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में (Division of power in favour of the centre)
3. राज्यों में पृथक संविधानों का अभाव (No separate constitution for the state)
4. भारतीय संविधान आपातकाल में एकात्मक बन जाता है (The Constitution becomes unitary during emergency)
5. संसद को पास नए राज्यों के निर्माण, सीमांकन तथा पुनर्गठन का अधिकार (Power for the creation of new states, changes in Boundaries and re-organisation of state with parliament)
6. संविधान में 'संघ' शब्द का अभाव (Absence of word 'Federation' in Constitution).

7. राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और पदच्युत करना (Appointment and Dismissal of Governors by the president)

8. राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति (Power to promulgate presidential Rule in states)

संघ और राज्यों में सम्बन्ध
(Relation between Centre and States)

भारतीय संविधान में संघ (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में यद्यपि संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परन्तु फिर भी भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था मिलती है क्योंकि इसमें वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो संघीय राज्य में होने आवश्यक हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की तरह केन्द्र और राज्य सरकारों में कई प्रकार के आपसी सम्बन्ध व्यवित किए जा गए हैं जिन्हें मुख्य तौर पर तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं -

1. वैधानिक सम्बन्ध
2. प्रशासकीय सम्बन्ध
3. वित्तीय सम्बन्ध